आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–12/2023	
30.05.2023 08/06/23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती चैती मिंज एवं अन्य, ग्राम–बिन्जपुर, पंचायत–टेहरी, प्रखण्ड–बरगड़, जिला–गढ़वा Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा ने अपने प्रतिवेदन के माध्यम से यह बताया है कि जिन लोगों को राशन उपलब्ध नहीं कराया गया था, उन अन्य 09 लोगों को राशन उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन उन 09 लोगों में से श्री शंभू खलखो ने आज की सुनवाई में यह कहा कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है। उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग आज की सुनवाई में ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को निर्देश दिया है कि यदि श्री शंभू खलखो को राशन उपलब्ध करा दिया गया है, तो उसका प्रमाण आयोग को भेजें एवं यदि राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है तो जितने दिनों का राशन बकाया है, उससे 1.25 गुना मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराएँ तथा उसका प्रमाण आयोग को भेजें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx74	